

355
 Management System
 Case Status
 App No
 फर्द अहकाम
 (नियम 26)
 मुकाम चिड़ावा
 राजस्थान सरकार
 सन् 2021
 नं. 57
 उपखण्ड अधिकारी
 बुद्धसिंह
 अदालत
 मुकदमात- प्रार्थना पत्र 111 व 128

तारीख हुक्म	हुक्म	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
2.07.21	<p>या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>आज यह प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर की जावे। मुताबिक सीमाज्ञान फर्द रिपोर्ट पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार चिड़ावा को आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजियात के मौके पर पत्थरगढी करने हेतु एक भू0 अभिलेख निरीक्षक व दो पटवारी की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी करवाई जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे। वादग्रस्त आराजियात की पत्थरगढी करने में अगर पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो वह भी ली जावे। तहसीलदार चिड़ावा को तहरीर जारी हो। मिसल बईन्तजार पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 08.07.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">↓ उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा</p>	
-7-21	<p>पत्रावली पेश हुई वकुलाम फरिकेन उपस्थित जज साहेब अधिकारी आज दीगर कार्य से व्यस्त रहे। अतः पत्रावली यत आदेशानुसार दिनांक 13-7-21 को पेश हो।</p>	
-7-21	<p>पत्रावली पेश हुई पत्रावली पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा से प्राप्त हो चुकी है। शपथ प्रमाण पत्र प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली को शपथ किया जाता है। पत्रावली केवल शपथ होकर नष्ट से नष्ट की जाकर वाद तलबील पत्रावली शरकील रहने है।</p> <p style="text-align: right;">↓ उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा</p>	

